HINDUSTAN, Dehradun, 16.3.2018
Page No. 15, Size:(10.49)cms X (12.32)cms.

आधार से कितने मोबाइल सिम लिंक, बीएसएनएल देगा सूचना

विशेष संवाददाता | **नई दिल्ली**

आधार से ग्राहक के कितने और कौन से मोबाइल सिम लिंक हैं, एसएमएस के जरिए यह सूचना देने की सुविधा भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने गुरूवार से शुरू कर दी है। इस व्यवस्था को अगले एक-दो दिन में सभी दूरसंचार कंपनियां लागू कर देंगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 मार्च को इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी किया था।

प्राधिकरण ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा था, ताकि वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम लिंक हैं। सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए प्राधिकरण के निर्देश को सबसे पहले लागू किया है। जबकि अन्य दूरसंचार कंपनियां इसमें उससे पिछड़ गई हैं। यूआईडीएआई का मानना है कि इस पहल से सिम के अनाधिकृत इस्तेमाल की संभावनाएं दूर की जा सकेगी। याद रहे कि प्राधिकरण के समक्ष इस तरह की घटनाएं आई हैं कि कुछ खुदरा विक्रेता, आपरेटर व दूरसंचार कंपनियों के एजेंट नये सिम जारी करने, नंबरों का पुनर्सत्यापन करने के लिए आधार का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे इसके माध्यम से दूसरे व्यक्त को सिम जारी कर रहे है या दूसरे का सत्यापन कर रहे हैं।

सभी दूरसंचार कंपनियों को प्राधिकरण ने 15 मार्च तक अपने ग्राहकों को यह सेवा देने को कहा था। लेकिन बीएसएनएल को छोड़कर अन्य किसी भी दूरसंचार कंपनी की ओर से अब तक प्राधिकरण को इस निर्देश को लागू करने की सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकरण ने निर्देश में दूरसंचार कंपनियों को आगाह किया था कि वे सुनिश्चित करें कि उनके खुदरा विक्रेता या एजेंट किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करें। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को ज्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्हें एक एसएमएस नंबर जारी करना था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक आधार से जोड़ने की अवधि को संविधान पीठ का फैसला आने तक के लिए बढ़ा दिया था।

यह आदेश अदालत ने उस समय दिया जब केंद्र ने उसे सूचित किया कि वह सभी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की 31 मार्च की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।